UPMZ010076322026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3093 सन 2026

रिहान पुत्र महराज
निवासी मकान नम्बर 827 मौहल्ला योगेन्द्रपुरी
थाना खालापार, जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—11 सन 2026
धारा — 318 (4), 336, 338
भारतीय न्याय संहिता
एवं धारा 66सी, 66डी आईटी एक्ट
थाना— साईबर क्राईम
जनपद— मुजफ्फरनगर

22.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना साईबर क्राईम मुजफफरनगर के अपराध संख्या—11 सन 2026 धारा — 318 (4), 336, 338 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66सी, 66डी आईटी एक्ट के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व धारा 338 भारतीय न्याय संहिता का भी कोई अपराध नहीं बनता है। डीजी के परिपत्र संख्या 27/2025 दिनांकित 28.07.2025 को जारी गाईड लाईन के अनुसार साईबर क्राईम थाने पर तैनात प्रत्येक विवेचक को कम से कम बीस विवेचनाओं का निस्तारण एक वर्ष में करना है इसलिये टारगेट को पूरा करके गुडवर्क दर्शाकर निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है।

इसी अनुक्रम में यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अपने बैंक खाते से न तो किसी को रूपया ट्रांसफर किया और न ही अवैध रूप से कमाये गये पैसों को ट्रांसफर या लन्डर किया जबकि मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो अपने बैंक एकाउंट में किसी तीसरे पर से पैसा प्राप्त करता है और उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है या नकल निकालकर किसी ओर को सौंप देता है जिस पर कमीशन मिलता है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त छात्र है तथा इसी वर्ष इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड व फोटो का दुरूपयेाग होने की संभावना है तथा सुनवाई के स्तर पर कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड व फोटो का दुरूपयेाग कर इस मामले में उसे फंसाया गया है।

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है तथा उसका नाम विवेचना में प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त संभ्रांत परिवार का है तथा उसकी समाज में प्रतिष्ठा है। वह एक स्थाई निवासी है तथा उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि मामला साईबर ठगी का है। दौरान विवेचना सह अभियुक्त मयूर को पुलिस द्वारा पकडा गया तथा उसके मोबाईल से आवेदक/अभियुक्त के बैंक खातों का विवरण प्राप्त हुआ है तथा आवेदक/अभियुक्त के सैन्ट्ल बैंक व बैंक आफ बडौदा के खातों में क्रमशः 21,73,621/– व 09.22.568/– रूपये आये हैं। इस प्रकार अपराध अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा निरीक्षक रविन्द्रपाल सिंह द्वारा घटना का दिनांक व समय अंकित न करते हुए दिनांक 11.02.2026 को समय 19.45 बजे थाना साईबर क्राईम पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (14सी) पूरे देश में व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए अधिकृत है। इसका मुख्य उद्देश्य

साइबर अपराधी की रोकथाम, पता लगाने, अभियोजन के लिए एक प्रभावी ढाचा विकसित करके नागरिकों के लिए एक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाना है। 14 सी एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है. जो डिजिटल इकोसिस्टम में उभरते खतरों से निपटने के लिए कई हितधारको जिसमे केन्द्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसिया, वित्तीय संस्थान, दूरसंचार सेवा प्रदाता और आईटी मध्यस्थ शामिल है को एक साथ लाता है। यह केन्द्र साइबर अपराध के पैटर्न और हटस्पट की पहचान करने के लिए अतर–एजेंसी सहयोग, वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और डेटा एनालिटिक्स को बढ़ावा देता है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध को रोकने में सहायता करने के लिए, 14 सी ने कई रणनीतिक उपकरण और प्लेटफर्म लागू किए है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) नागरिकों को वेबसाइट www-cybercrime-gov-in या हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से 24X7 साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जो शिकायतों को कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेजता है। वित्तीय धोखाधड़ी के लिए, सिटीजन फाइनेशियल साइबर फ्रड रिपोर्टिंग एड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) धोखाधड़ी की राशि पर वास्तविक समय मे रोक लगाने में सक्षम बनाता है और उनकी वसूली की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफर्म पर 470 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थ जुड़े हुए है, और डिजिटल संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई क्रिप्टो एक्सचेंज भी इसमें शामिल हुए है। 14 सी कानून प्रवर्तन एजेसियो, RBI और CBI के साथ म्यूल अकाउंट और धोखाधड़ी हटस्पट सहित संदिग्ध बाता डेटाबेस भी बनाए रखता है और साझा करता है। इसके अतिरिक्त, समन्वय पोर्टल अपराध मानचित्रण, अत्तर–राज्यीय लिकेज विश्लेषण और वास्तविक समय जाच सहायता के लिए मड्यूल प्रदान करके राज्य केंद्र शासित प्रदेश LEA के बीच समन्वय बढाता है। इसमे भू–स्थानिक साइबर अपराध ट्रैकिग के लिए प्रतिबिब मड्यूल, अंतरराज्यीय सहयोग के लिए CIAR (साइबर जाच सहायता अनुरोध) और पुलिस जाच का मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी कानूनी सहायता जैसे उपकरण शामिल है। साइबर फ्रड मिटिगेशन सेटर (CFMC) जैसी सुविधाए बैको, इंटरमीडियरी और पुलिस के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर चल रहे साइबर खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए जमीनी स्तर पर सहयोग देती है। 14 सी के ये मिले–जुले प्रयास राज्यों की साइबर अपराध के तेजी से बदलते माहौल की जाच करने और उससे लड़ने की क्षमता को काफी मजबूत करते है। नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध डेटाबेस का विश्लेषण राज्य द्वारा किया गया। यह पाया गया है कि साइबर अपराधी बैंक अकाउंट, UPI, IMPS, RTGS, ATM जैसे बैंकिग इफ्रास्ट्रक्चर, SIM कार्ड जैसे टेलीकम इफ्रास्ट्रक्चर, और डोमेन, IP और ऐप्स जैसे IT इफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से साइबर (राज्य) में साइबर अपराधियो द्वारा म्यूल अकाउट, SIM कार्ड अपराध करने के लिए कर रहे हैं। और ऐप्स का बढ़ता दुरुपयोग देश के डिजिटल वित्तीय परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण और बढ़ता खतरा है। त्ठप् के अनुसार, बैंकिग क्षेत्र में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैको 4 वित्तीय सस्थानों, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और 44 विदेशी बैंकों के साथ–साथ 21 निजी बैंक, 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक, 11 छोटे वित्त बैंक और 6 भुगतान बैंक शामिल है। हालांकि, जैसे–जैसे साइबर अपराध इकोसिस्टम बढ़ रहा है, बड़ी सख्या में बैंक अकाउंट, पेमेंट गेटवे वलेट और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अकाउट का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में

किया जा रहा है। ये म्यूल अकाउंट साइबर अपराधियों द्वारा पैसे को लन्डर करने के लिए व्यवस्थित रूप से बनाए जाते हैं, जो मौजूदा नियामक कमियों और तकनीकी खामियों का फायदा उठाते हैं। म्यूल अकाउट ऐसे बैंक अकाउट होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी अवैध रूप से कमाए गए पैसे को ट्रांसफर या लन्डर करने के लिए करते है। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो अपने बैंक अकाउंट में किसी तीसरे पक्ष से पैसे प्राप्त करता है और उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है या नकद में निकालकर किसी और को सौंप देता है, जिसके लिए उसे कमीशन मिलता है। उन्हें आपराधिक गतिविधि के बारे में पता हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनके अकाउंट का इस्तेमाल अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। गृह मंत्रालय के नेशनल साइबरक्राइम रिपोटिंग पोर्टल के अनुत्तार, राज्य में प्रतिदिन लगभग म्यूल अकाउट की रिपोर्ट की जाती है। अतर्राष्ट्रीय अपराधियों ने म्यूल या किराए के अकाउट का इस्तेमाल करके अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे स्थापित किए है। ये अवैध इफ्रास्ट्रक्चर मनी लन्ड्रिग को एक सेवा के रूप में सक्षम बनाते है और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से प्राप्त आय को लन्डर करने के लिए उपयोग किए जाते है। जाच से पता चला है कि म्यूल अकाउट नेटवर्क ज्यादा एडवास हो गए है, खासकर इन्वेस्टमेट फड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, क्रिप्टो फ्रड, टास्क फ्रड, जब फ्रड, फिशिंग, स्यूकिंग और लोन फ्रड जैसे साइबर क्राइम के मामलों में। हर क्राइम में म्यूल अकाउट नेटवर्क में कई लेयर्स शामिल हो सकती है। ये म्यूल अकाउंट आखिरकार हवाला, अवैध गेमिंग जैसी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाबा देते है, जिससे पुलिस की जाच मुश्किल हो जाती है। इस्तेमाल किए जा रहे बैंक अकाउंट अक्सर अलग–अलग मौजूदा या नकली बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड करट अकाउंट होते हैं। साइबर फड में म्यूल अकाउंट अहम भूमिका निभाते है। व्यक्तियों को उनकी जागरूकता और इरादे के आधार पर कैटेगरी में बाटा गया हैरू अनजाने मनी म्यूल्स अनजाने में धोखाधड़ी वाली योजनाओं में हिस्सा लेते हैं, यह मानते हुए कि यह वैध काम है। जानबूझकर मनी म्यूल्सः शुरू में अनजान होते हैं, लेकिन बाद में जानबूझकर अपने अकाउट का इस्तेमाल फायदे के लिए करने देते हैं। मिलीभगत वाले म्यूल्सः पूरी तरह से जागरूक होते हैं, मनी लन्ड्रिग प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होते है, दूसरो को भर्ती करते हैं. और जाली दस्तावेजो का इस्तेमाल करते है। साइवर क्रिमिनल्स सीधे अकाउंट बनाकर, ऑनलाइन भर्ती करके, या टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए म्यूल अकाउंट हासिल करते है। छात्र, बेरोजगार युवा और ग्रामीण निवासी जैसे कमजोर समूहों को टारगेट किया जाता है। एक बार फ्राड होने के बाद, पैसा म्यूल अकाउंट के जाल के जरिए भेजा जाता है जो अक्सर बद पड़ी कपनियों या शेल फर्मों से जुड़े होते हैं। आखिरकार, फंड कैश के रूप में निकाल लिया जाता है, USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता है, या लग्जरी सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

प्राथमिकी मे यह भी कथन किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित समन्वय/प्रतिबिम्ब पोर्टल पर दिनांक 05.02.2026 को प्रदर्शित द्वितीय लेयर के पंजाब नैशनल बैंक के लाभार्थी खाता संख्या 4856000100188085 की जाँच मुझ निरीक्षक द्वारा की गयी तो जाँच से पाया गया कि उपरोक बैंक खाते पर NCRP पोर्टल पर पर केरल व तमिलनाडू राज्य से 02 शिकायत दर्ज है, NCRP पोर्टल पर

उपरोक्त पीएनबी खाता संख्या 4856000100188085 पर दर्ज शिकायतो का अवलोकन किया गया तो शिकायत संख्या 31502260003244 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन त्रिशूर जिला त्रिशूर शहर राज्य केरल से दर्ज है, उपरोक्त शिकायत श्रीमति रीना पत्नी पलसन निवासी केरल के द्वारा दिनांक 05.02.2026 को विभिन्न मोबाईल नम्बर का प्रयोग करके आवेदिका को डीजिटल अरेस्ट करके 26 लाख रूपये ठगी किये जाने के सम्बन्ध मे दर्ज करायी गयी, उपरोक्त फ्राड की धनराशि से उपरोक्त लाभार्थी बैंक खाते में यूटीआर न0 ICICR42026020400513000 पर 200090/— रूपये फ्राड धनराशि आना अंकित है, फ्राड धनराशि 200090/— रूपये में से दिनांक 04.02.2026 को 10,000/— रुपये Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) से तथा 1,90,000/— रूपये Cash Withdrawal through Cheque से निकाला जाना अंकित है।

प्राथमिकी में यह भी कथन किया गया है कि शिकायत सख्या 32912250081472 कोयंबटूर शहर तमिलनाडू से दर्ज है, शिकायत का अवलोकन किया गया तो उपरोक्त शिकायत आवेदक श्री एन पंचपकेसन पुत्र मथुराम नि० स्पीन अपार्टमेंट ए 201 इदिगराई मुख्य सडक कोयंबटूर शहर तमिलनाडू द्वारा दिनाक 18.12.2025 को पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने दावा किया कि पीडित कश्मीर में मनी लन्डिंग के एक मामले में शामिल है। जब पीडित ने इस आरोप से इनकार किया, तो कल साइबर ब्रांच पुलिस के रूप में पेश होने वाले व्यक्तियो को फरवर्ड कर दी गई, जिन्होंने पीड़ित को ब्लैकमेल करके पैसे भेजने के लिए मजबूर किया। डर के मारे पीड़ित ने पैसे दे दिए। भुगतान प्राप्त होने के बाद, संदिग्ध ने काल काट दी, और बाद में पीड़ित को पता चला कि यह एक घोटाला था। जिसमे 4,05,00,000/— रूपये की ठगी किया जाना अंकित है। उक्त शिकायत की फ्राड धनराशि से दिनांक 4.12. 2025 को यूटीआर न0 754065073576 से उपरोक्त बैंक खाते में 50,000/— रूपये आना अकित है। साइबर अपराध में प्रयुक्त पीएनबी बैंक खाता 4856000100188085 की जानकारी चरथावल स्थित पीएनबी बैंक शाखा से की गयी तो उपरोक्त बैंक खाता नदीम पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर के नाम पर खोला जाना पाया गया। बैंक खाते से दिनांक 04.02.2026 को बैंक के माध्यम से निकासी की गयी धनराशि की सीसीटीवी फुटेज सम्बन्धित बैक से प्राप्त की गयी तो बैक सीसीटीवी मे दिनाक 04.02.2026 को लाभार्थी खाता धारक नदीम पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर एक अन्य व्यक्ति के साथ उपरोक्त फ्राड की 1,90,000/— रूपये को निकालते हुए दिखायी दे रहे है। नदीम उपरोक्त से उक्त धनराशि के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो बताया कि बैक सीसीटीवी फुटेज मे दूसरा व्यक्ति उसका दोस्त गुफरान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर है। जिसने मुझसे मेरा बैंक खाता लिया था और पैसे मगाये थे, जो पैसा गुरफान ने मेरे बैंक खाते मे मगाया था वह पैसा हम दोनो ने बैंक जाकर निकाल लिया था तथा अपना कमीशन 10 हजार रूपये काटकर शेष रूपये गुफरान को दे दिये थे। उपरोक्त दोनो शिकायतो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीएनबी बैंक खाता संख्या 4856000100188085 म्यूल बैंक खाते के रूप में डिजीटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध में प्रयोग किया जा रहा है।

प्राथमिकी में यह भी कथन किया गया है कि तमामी जाँच से प्रथम दृष्टय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीएनबी बैंक शाखा चरथावल मुजफ्फरनगर के खाता संख्या 4856000100188085 धारक नदीम पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर व गुफरान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर के द्वारा योजनाबद्व तरीके से साइबर फाड़ से पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने अज्ञात साइबर अपराधियो के साथ मिलकर पडयंत्र रचकर उपरोक्त पीएनबी बैंक खाते का प्रयोग साइबर अपराध की घटना कारित कर फ्राड की धनराशि को उपरोक्त खाते से षडयंत्र रचकर ट्रांजेक्शन की गयी है। उपरोक्त बैंक खाता धारक नदीम पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर व गुफरान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर द्वारा म्यूल खातों के माध्यम से साइबर अपराध को बढ़ावा दिया है।

6. अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित समन्वय/प्रतिबिम्ब पोर्टल पर दिनांक 05.02.2026 को प्रदर्शित द्वितीय लेयर के पंजाब नैशनल बैंक के लाभार्थी खाता संख्या 4856000100188085 की जाँच वादी मुकदमा द्वारा की गयी तो जाँच से पाया गया कि उपरोक बैंक खाते पर NCRP पोर्टल पर पर केरल व तमिलनाडू राज्य से 02 शिकायत दर्ज है, NCRP पोर्टल पर उपरोक्त पीएनबी खाता संख्या 4856000100188085 पर दर्ज शिकायतो का अवलोकन किया गया तो शिकायत संख्या 31502260003244 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन त्रिशूर जिला त्रिशूर शहर राज्य केरल से दर्ज है, उपरोक्त शिकायत श्रीमति रीना पत्नी पलसन निवासी केरल के द्वारा दिनांक 05.02.2026 को विभिन्न मोबाईल नम्बर का प्रयोग करके आवेदिका को डीजिटल अरेस्ट करके 26 लाख रूपये ठगी किये जाने के सम्बन्ध मे दर्ज करायी गयी, उपरोक्त फ्राड की धनराशि से उपरोक्त लाभार्थी बैंक खाते में यूटीआर न0 ICICR42026020400513000 पर 200090/— रूपये फ्राड धनराशि आना अंकित है, फ्राड धनराशि 200090/— रूपये में से दिनांक 04.02.2026 को 10,000/— रुपये Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) से तथा 1,90,000/— रूपये Cash Withdrawal through Cheque से निकाली गयी। इसी प्रकार दूसरी शिकायत सख्या 32912250081472 कोयंबटूर शहर तमिलनाडू से दर्ज है, शिकायत का अवलोकन किया गया तो उपरोक्त शिकायत आवेदक श्री एन पंचपकेसन पुत्र मथुराम नि० स्पीन अपार्टमेंट ए 201 इदिगराई मुख्य सडक कोयंबटूर शहर तमिलनाडू द्वारा दिनाक 18.12.2025 को पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने दावा किया कि पीडित कश्मीर में मनी लन्डिंग के एक मामले में शामिल है। जब पीडित ने इस आरोप से इनकार किया, तो कल साइबर ब्रांच पुलिस के रूप में पेश होने वाले व्यक्तियो को फारवर्ड कर दी गई, जिन्होंने पीड़ित को ब्लैकमेल करके पैसे भेजने के लिए मजबूर किया। जिसमे 4,05,00,000/— रूपये की ठगी किया जाना अंकित है। उक्त शिकायत की फ्राड धनराशि से दिनांक 4.12.2025 को यूटीआर न0 754065073576 से उपरोक्त बैंक खाते में 50,000/— रूपये आना अकित है।

अब तक की विवेचना से यह भी स्पष्ट होता है कि दौरान विवेचना सह अभियुक्त मयूर अफजल राणा को पकड़े जाने पर उससे बरामद मोबाईल में से

विभिन्न बैंक खातों का विवरण प्राप्त होना कहा जाता है जिनमें आवेदक/अभियुक्त का खाता संख्या 5925621727 सैन्ट्ल बैंक का तथा खाता संख्या 07740100035903 बैंक आफ बडौदा भी सम्मिलत है। आवेदक/अभियुक्त के सैन्ट्ल बैंक के खाते में दिनांक 06.01.2026 से 03.02.2026 तक 21,73,621/– रूपये व बैंक आफ बडौदा के खाते में दिनांक 31.12.2025 से 05.02.2026 तक अंकन 09.22.568/– रूपये आना कहा गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रिहान पुत्र महराज** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांकः **22**.06.2026